पत्रांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र०:19620/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 27-12-13

विषयः– **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत कतिपय अधिसूचित कतिपय सेवाओं को हटाने एवं नियत समय–सीमा को कम करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित निम्न सेवाओं को इस अधिनियम से विलोपित करने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) भारत सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने के फलस्वरूप समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित **"राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना"** को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है।

(ii) बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 लागू होने के फलस्वरूप नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित **"शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण"** की सेवा को लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं की सूची से विलोपित कर दिया गया है।

2. गृह विभाग, परिवहन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निम्न अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने की पूर्व निर्धारित नियत समय–सीमा को कम किया गया हैः–

(i) गृह विभाग :–

सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1)पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन (पासपोर्ट, नौकरी इत्यादि) के आवेदनों का निस्तार	डी.एस.पी. (मु.) या संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई डी.एस.पी.	28 कार्यदिवस	14 कार्यदिवस

(ii) परिवहन विभाग :–

सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1)लर्नर अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	7 कार्यदिवस
3)चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	7 कार्यदिवस
5)अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	15 कार्य दिवस
6)वाहनों का अस्थायी निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	7 कार्य दिवस
8)निबंधन प्रमाण–पत्र की द्वितीयक प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	7 कार्य दिवस
12)कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी	7 कार्य दिवस	1 कार्य दिवस
14) पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	15 कार्य दिवस
17) दुरूस्ती प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन	मोटर यान निरीक्षक	10 कार्य दिवस	7 कार्य दिवस

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग:–

क्रमांक	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1.	जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
2.	आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
3.	आय प्रमाण–पत्र निर्गत करना	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	14 कार्यदिवस	10 कार्यदिवस

क्र.	सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1.	स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली कार्यालय से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्रों को प्राप्त करना।	स्थानिक आयुक्त–सह–सम्पर्क अधिकारी	28 कार्यदिवस	16 कार्यदिवस

3. उक्त के क्रियान्वयन हेतु 'अधिकार' साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर दिए गए हैं।

4. उक्त अधिसूचित सेवाओं के विलोपन एवं कम किये गये नियत समय–सीमा की जानकारी हेतु सभी संबंधित कार्यालयों में सूचना पट्ट का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए।

कृपया उपरोक्त से सभी सम्बन्धित अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन

(डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र०...19620...**दिनांक**...27.12.13...

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र०...19620...**दिनांक**...27.12.13...

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि e-District से संबंधित चार जिलों में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित उक्त संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर में यथाशीघ्र आवश्यक परिवर्त्तन करते हुए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को उक्त के अनुरूप कार्रवाई हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र०...19620...**दिनांक**...27.12.13...

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र०...19620...**दिनांक**...27.12.13...

प्रतिलिपिः–सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली एवं अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–08/लो०से०अ०–02–16/2013,सा०प्र०...19620...**दिनांक**...27.12.13...

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।